न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **33/2017**

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री विमल कुमार रावत पुत्र श्री बद्रीलाल रावत (विक्रेता मालिक) मैसर्स विमल प्रोविजन स्टोर नगर निगम रोड़, बीकानेर
2. श्री दिनेश खण्डेलवाल (नोमिनी), मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल, दुकान नं. 67, नई अनाज मण्डी, बीकानेर
3. मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल, दुकान नं. 67, नई अनाज मण्डी, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खा.सु अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से – श्री रमेश पारीक अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक :– 28.06.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 01.07.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री विमल कुमार रावत पुत्र बद्रीलाल रावत (विक्रेता मालिक) मैसर्स विमल प्रोविजन स्टोर, नगर निगम रोड़, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण के दौरान 20 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पोली पैक्ड खाद्य पदार्थ बेसन (रामसा) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था । तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त बेसन (रामसा) पैकेटों में से 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पोली पैक्ड बेसन (रामसा) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 200/– रूपये श्री गोपाल कृष्ण शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर खा.सु.अ., गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक जे–1196 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक भाग पर पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक जे–1196 गोंद से नियमानुसार उक्त पैकेटों को सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिपोर्ट क्रमांक LS/2120/Act/ 2016/2957 दिनांक 26.08.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामसा) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामसा) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 का का जवाब है कि उक्त बेसन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल दुकान नम्बर 67, नई अनाज मण्डी, बीकानेर से खरीद कर मात्र विक्रय कर रहा है ना कि खाद्य कारबारकर्ता है। अप्रार्थी संख्या 1 न तो उक्त बेसन का निर्माता है व ना ही उक्त बेसन की पैकेजिंग हेतु उत्तरदायी है। परिवाद में प्रस्तुत आरोप पूर्णतया निराधार है, क्योंकि धारा 26 की उपधारा 2(ii) में मुख्यतया दायित्व खाद्य कारबारकर्ता का है न कि अपने स्व–रोजगार के लिए नियोजित फुटकर विक्रेता का है। अप्रार्थी संख्या एकमात्र फुटकर विक्रेता है। खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट को आधार मानकर मिसब्राण्ड माना है। जबकि धाराओं में उल्लेखित मिसब्राण्ड के आधारों में उक्त बेसन नमूना किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त बसेन न तो किसी अन्य नाम से विक्रय किया जा रहा था न किसी प्रकार का कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त था। इस आधार पर उक्त परिवाद खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ठोस आधार न होते परिवाद प्रस्तुत किया है जो अप्रार्थी संख्या 1 की हद तक खारिज फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जवाब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण को पोली पैक्ड बेसन(रामस) मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय किये जाने का वाद प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन माना है जबकि अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित गवाहान के समक्ष श्री विमल कुमार रावत से उनके द्वारा विक्रय किये जा रहे बेसन का नमूना मिलावट का शक होने पर शुद्धता की जाचं हेतु लिया था। पैकेट मिसब्राण्ड नहीं था। मौके पर फर्द रिपोर्ट " खाद्य पदार्थ बेसन में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से खाद्य पदार्थ बेसन वास्ते नमूना जांच हेतु।" रिपोर्ट में निरीक्षण के दौरान त्रुटिया पाई गई। जबकि किसी भी प्रकार की त्रुटि का उल्लेख नहीं है। बेसन के पोली पैकेट पर नियमानुसार प्रिन्टेड थे, मिसब्राण्ड नहीं थे। पैकेट पर कोई अन्य त्रुटि नहीं थी। इसलिए पैकेट मिसब्राण्ड में नहीं आते है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर द्वारा दिनांक 01.7.16 को प्रकरण न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली लगभग एक वर्ष बाद देरी से प्रस्तुत करने का कारण नहीं बताया। नमूना जांच दिनांक 04.07.2016 को प्राप्त किया। नमूने की जांच 15 दिन बाद तक की गई एवं बेसन नमूना जांच में शुद्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट 28 दिन को भेजी गई। अप्रार्थी संख्या 2 पार्टनर एंव अप्रार्थी संख्या 3 फर्म बतौर कार्य करता है। फर्म खाद्य पदार्थो से बने प्रोडक्ट का लाईसेंस अनुसार क्रय एवं विक्रय का थोक एवं रिटेल का व्यापार करती है। निर्माण का कार्य नहीं करती है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने पोली पैक्ड बेसन (रामस) ब्राण्ड को निर्माता फर्म राम इण्डस्ट्रीज बीकानेर से जरिये बिल खरीद कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये बिल विक्रय किया था। जिस पर पोली पैक्ड पैकेट पर नियमानुसार निर्माण माह/वर्ष अंकित था एवं Best Before माह/वर्ष अंकित था। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बेसन (रामस) के पोली पैक्ड पैकेट नमूना को मिसब्रान्डेड के आरोप से प्रतिवादियों एवं फर्म को दोष मुक्त का आदेश फरमाया जावे एवं वाद को खारिज किया जावें।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड **बेसन (रामसा)** का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Besan (Rama's) bearing Code No. and Sr. No. J-1196 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a(c))(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation No.2.3.1(5),2.2.2(9) ,2.2.2.(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड **बेसन (रामसा)** मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

7. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त बेसन को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल दुकान नम्बर 67, नई अनाज मण्डी, बीकानेर से खरीद कर विक्रय करता है। अप्रार्थी संख्या 1 न तो उक्त बेसन का निर्माता है व ना ही उक्त बेसन की पैकेजिंग हेतु उत्तरदायी है। परिवाद में प्रस्तुत आरोप पूर्णतया निराधार है, क्योंकि धारा 26 की उपधारा 2(ा) में मुख्यतया दायित्व खाद्य कारबारकर्ता का है न कि अपने स्व–रोजगार के लिए नियोजित फुटकर विक्रेता का है। अप्रार्थी संख्या एकमात्र फुटकर विक्रेता है। खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट को आधार मानकर मिसब्राण्ड माना है। जबकि धाराओं में उल्लेखित मिसब्राण्ड के आधारों में उक्त बेसन नमूना किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त बेसन न तो किसी अन्य नाम से विक्रय किया जा रहा था न किसी प्रकार का कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त था। इस आधार पर उक्त परिवाद खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ठोस आधार न होते परिवाद प्रस्तुत किया है जो अप्रार्थी संख्या 1 की हद तक खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

8. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण को पोली पैक्ड बेसन(रामस) मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय किये जाने का वाद प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन माना है जबकि अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित गवाहान के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय किये जा रहे बेसन का नमूना दिनांक 01.07.2016 मिलावट का शक होने पर शुद्धता की जांच हेतु लिया था। पैकेट मिसब्राण्ड नहीं था। मौके पर फर्द रिपोर्ट " खाद्य पदार्थ बेसन में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से खाद्य पदार्थ बेसन वास्ते नमूना जांच हेतु।" रिपोर्ट में निरीक्षण के दौरान त्रुटिया पाई गई। जबकि किसी भी प्रकार की त्रुटि का उल्लेख नहीं है। बेसन के पोली पैकेट पर नियमानुसार प्रिन्टेड थे, मिसब्राण्ड नहीं थे। पैकेट पर कोई अन्य त्रुटि नहीं थी। इसलिए पैकेट मिसब्राण्ड में नहीं आते है। प्रकरण में अनुसंधान की प्रक्रिया में व्यतीत होने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शर्मा के सेवानिवृत होने के कारण कोई उल्लेख नहीं है। श्री शर्मा खा.सु.अ. ने सेवानिवृति के बाद पत्रावली मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी को कब भेजी कोई तारीख अंकन नहीं है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर द्वारा दिनांक 01.7.16 को प्रकरण न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली लगभग एक वर्ष बाद देरी से प्रस्तुत करने का कारण नहीं बताया। नमूना जांच दिनांक 04.07. 2016 को प्राप्त किया। नमूने की जांच 15 दिन बाद तक की गई एवं बेसन नमूना जांच में शुद्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट 28 दिन को भेजी गई। धारा 42(2) के अनुसार सेम्पल प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर विश्लेषण रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए थी, का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 पार्टनर एंव अप्रार्थी संख्या 3 फर्म बतौर कार्य करता है। फर्म खाद्य पदार्थो से बने प्रोडक्ट का लाईसेंस अनुसार क्रय एवं विक्रय का थोक एवं रिटेल का व्यापार करती है। निर्माण का कार्य नहीं करती है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने पोली पैक्ड बेसन (रामस) ब्राण्ड को निर्माता फर्म राम इण्डस्ट्रीज बीकानेर से जरिये बिल खरीद कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये बिल विक्रय किया था। जिस पर पोली पैक्ड पैकेट पर नियमानुसार निर्माण माह/वर्ष अंकित था एवं Best Before माह/वर्ष अंकित था। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बेसन (रामस) के पोली पैक्ड पैकेट नमूना को मिसब्रान्डेड के आरोप से प्रतिवादियों एवं फर्म को दोष मुक्त का आदेश फरमाया जावे एवं वाद को खारिज किया जावें।

9. अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे खादय सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की गई। जांच रिपोर्ट में बेसन (रामस) मिसब्राण्ड पाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत समय सीमा विस्तारित किये जाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस कार्यवाही में एफएसएसए की धारा 77 के प्रावधानों का पालन किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड खादय पदार्थ बेसन (रामस) विक्रय करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। बहस में नमूना एवं जांच के विषय में उठाये गये एतराजात का कोई कानूनी असर इसलिए भी नहीं है, क्योंकि प्रकरण में जांच के आधार पर मिलावट संबंधी कोई अभियोजन नहीं है बल्कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का उल्लंघन है, जो कि मिसब्राण्ड की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./2120/Act/ 2016/2957 दिनांक 26.08.2016 की रिपोर्ट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में The sample of " Besan (Rama's) bearing Code No. and Sr. No. J-1196 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a(c)(i) of food safety and standards Act, 2006 is it Contravene Regulation No.2.3.1(5),2.2.2(9) ,2.2.2.(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

11. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस)(मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु निर्मित एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्वरूप खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **25,000/–** अखरे रूपये **पचीस हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।ख्य

12. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

13. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु निर्मित करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का निर्मित एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष निर्मित एवं विक्रय हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 नोमिनी/फर्म का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 20,000/– (अखरे बीस हजार रूपये मात्र) के लिए अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 नोमिनी/फर्म को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये की शास्ति भरने हेतु दायी होगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

14. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेतां का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 विक्रेता द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 नोमिनी/फर्म की शास्ति को घटाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) की शास्ति राशि रूपये 5,000/– भरने हेतु दायी होगा।

15. इस प्रकार आरोपित **25,000– रूपये** की शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 नोमिनी/फर्म की शास्ति राशि **20,000/–** अर्थात प्रत्येक 10–10 हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) की शास्ति राशि रू. **5,000/–** अखरे रूपये पांच हजार मात्र की शास्ति अदा करेगें।

16. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.)बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner